

47

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
अधिसूचना

अधि०सं०-भवन/स्था०-०२-११ (संविदा नियोजन)-०१/२०२३.....पटना, दिनांक-

बिहार मंत्रिपरिषद् की दिनांक-१५.०३.२०२४ को आहूत बैठक की मद सं०-३३ के रूप में दी गयी स्वीकृति के आलोक में श्री हरि शंकर सिंह एवं श्री खुर्शीद अकरम, मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि क्रमशः-३१.०१.२०२४ एवं ३१.०३.२०२४ के उपरान्त भवन निर्माण विभाग के अधीन संविदा के आधार पर मुख्य वास्तुविद् के पद पर नियोजित किया जाता है।

१. यह नियोजन योगदान की तिथि से अगले ०१ वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए किया जाता है।

२. नियोजित मुख्य वास्तुविद् के कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी एवं कार्य संतोषजनक नहीं होने पर संविदा रद्द की जा सकेगी।

३. योगदान के समय सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

४. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-१०००० दिनांक-१०.०७.२०१५ की कंडिका-३(६)(i) में निहित प्रावधान के अनुसार निर्धारित मानदेय देय होगा। कंडिका-३(६)(iv) के तहत सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षित हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा। मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग के स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

५. पदीय दायित्वों के निर्वहन के लिए श्री हरि शंकर सिंह एवं श्री खुर्शीद अकरम, को मुख्य वास्तुविद् स्तर की सभी सुविधाएँ अनुमान्य होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(रमेन्द्र कुमार)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-

2474 (1)

पटना, दिनांक-

15/3/14

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/सभी अपर सचिव/संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी मुख्य अभियंता/मुख्य वास्तुविद्/श्री हरि शंकर सिंह एवं श्री खुर्शीद अकरम, मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग/निदेशक, अनुश्रवण-सह-मूल्यांकन कोषांग/अवर सचिव/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय अवस्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

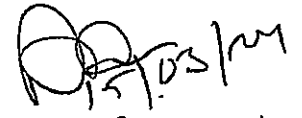
भवन निर्माण विभाग

.....

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापक-2003 दिनांक-05.03.2024 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-15.03.2024 में मद संख्या-33 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

33. श्री हरिशंकर सिंह, मुख्य वास्तुविद् एवं श्री खुर्शीद अकरम, मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग को उनकी सेवानिवृत्ति तिथि क्रमशः 31.01.2024 एवं 31.03.2024 के उपरान्त संविदा के आधार पर मुख्य वास्तुविद् के पद पर अगले 01 वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए नियोजन के संबंध में।

33. स्वीकृत।



(निशीथ वर्मा)

सरकार के अपर सचिव।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

